भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1232

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**राजनीतिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिए त्वरित न्यायालय**

**1232. श्री पी.एल.पुनिया :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजनीतिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिए त्वरित न्यायालयों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क ) से (घ) :** त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करते हैं।

 तथापि, रिट याचिका (सिविल) संख्या 699/2016 (अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, बारह (12) विशेष न्यायालयों को चयनित संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों के अन्तर्वलित केवल आपराधिक मामलों को देखने के लिए [दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में दो और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक-एक] ग्यारह (11) राज्यों में स्थापित किए गए हैं और केंद्रीय सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों कोआनुपातिक निधियों को जारी कर दिया गया है ।सभी संबंधित राज्य सरकारों ने इन न्यायालयों की स्थापना की है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शीघ्र विचारण के लिए कुल 1349 मामलों को इन विशेष न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

 अन्य राज्यों में जहां संबंधित मामले की संख्या 65 से कम हैं, ऐसे मामलों को उन न्यायालयों में विचारण किया जाना चाहिए जहां ये मामले त्वरित निपटान पद्धति में लंबित है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*